

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)  
(दिनांक 19.08.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 134/2025

GCMS NO :- 2025/279

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- मैना बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 19.08.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का सोहली की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कलोठड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 62 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कलोठड़ा	62	मीलाबाई पुत्री रोहतान सिंह	मीला बाई उर्फ मैना पुत्री रोहतान सिंह



उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

कमाक :- राजस्व/2025/754  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 19/8/25

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. मीला बाई उर्फ मैना पुत्री रोहतान सिंह जाति राजपूत निवासी कलोठड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

